

प्रेषक,

डा० रणवीर सिंह,  
सचिव, पेयजल,  
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

पेयजल अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 10 जुलाई, 2007

विषय: पेयजल स्रोतों के संरक्षण एवं सम्बर्द्धन हेतु उत्तराखण्ड राज्य में जल सम्बर्द्धन मिशन का गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

पेयजल स्रोतों के संरक्षण एवं सम्बर्द्धन हेतु जल सम्बर्द्धन मिशन को गठित करते हुये शासनादेश सं० 759/XXIX-(2)/2007 दिनांक 19-06-2007 से इस कार्य को मिशन मोड में किये जाने के लिए राज्य स्तरीय जल सम्बर्द्धन मिशन, जनपदीय जल सम्बर्द्धन मिशन एवं ब्लाक स्तरीय जल सम्बर्द्धन मिशन अनुसार दीर्घकालिक रणनीति एवं तत्काल महत्व के कार्य 2 भागों में किये जाने के निर्देश हैं। तत्काल महत्व के कार्यों का आवंटन तथा कार्य सम्पादन की तिथियां शासनादेश में उल्लेखित हैं।

जैसा कि आप अवगत ही हैं कि वर्षा ऋतु प्रारम्भ हो चुकी है। अतः सूख रहे ऐसे पेयजल स्रोतों में वर्षा जल संग्रहण व वृक्षारोपण कार्य इसी समय प्रारम्भ किया जा सकता है। जल संरक्षण द्वारा प्रथम चरण में चिन्हित, स्वजल द्वारा अपनी कार्य योजना में लिये गये स्रोत तथा जलागम कार्य योजना में चिन्हित स्रोतों की सूची तथा मैप <http://gov.ua.nic.in/waterconservation> वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अतः आप तदनुरार शासनादेश के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही करते हुए राज्य स्तरीय मिशन को अवगत कराने का कष्ट करेंगे।

भवदीय

(डा० रणवीर सिंह)  
सचिव पेयजल

पृष्ठांकन संख्या

तददिनांक:

प्रतिलिपि:

1. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, जलागम, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. अपर निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड, इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड, पेयजल निगम, देहरादून।
6. निदेशक, परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना, देहरादून।

सचिव पेयजल